

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3025/2026

Harphool S/o Bhagwanaram, Aged About 45 Years, Resident Of 5
-8 K.j.d. Police Station Khajuwala District Bikaner Rajasthan
(Presently Lodged In Central Jail Bikaner)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Ashok Bishnoi
For Respondent(s)	: Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— खाजूवाला, जिला— बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 22/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त शमशेर सिंह, जिससे कि 6.330 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ है, उसकी जमानत याचिका पूर्व में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उससे कोई मादक पदार्थ बरामद हुआ है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्ट की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हरफूल पुत्र भगवानाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J